न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :- 2019/00041 निर्णय दिनांक :- 30/3/2022

1 - बालाबक्ष पुत्र रामेश्वरलाल जाति माहेश्वरी सा. परबतसर
2 - बंशीलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माहेश्वरी सा. परबतसर

.....वादीगण

बनाम

1- रामनिवास पुत्र रामबिलास जाति माहेश्वरी निवासी परबतसर
2- सरजूदेवी पत्नी नाथूराम जाति जाट निवासी भावसिया
3- प्रेमलता पत्नी दलीपसिंह जाति जाट निवासी भावसिया
4- भंवरलाल पुत्र श्रवणराम जाति गुर्जर निवासी सबलपुर तह. मकराना
5- तहसीलदार परबतसर

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- खातेदारी अधिकारो की घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा

उपस्थित :- श्री मूलचन्द सौंलकी अधिवक्ता वादीगण
:- श्री गजराज चौहान अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 3

निर्णय

1. वादीगण द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम परबतसर की सरहद में खसरा नम्बर 1986 रकबा 0.3881 हैक्टयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 1515 मिन 4 हैं जो वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित है। जिसमें वादीगण का संयुक्त रकबा 0.2024 हैक्टयर व प्रतिवादी 1 का 0.0858 हैक्टयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त 0.0165 हैक्टयर एवं प्रतिवादी 4 का 0.0834 हैक्टयर भूमि खातेदारी में उपरोक्त अनुसार दर्ज चली आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का आपसी सहमति से मौके पर अलग अलग बंटवारा भी कर रखा हैं एवं अपने अपने बंट की भूमि पर काबिज चले आ रहे है एवं अपने बंट की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं परन्तु जमाबन्दी में खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज चली आने से हर छोटे बड़े कार्य ऋण सुविधा एवं अन्य सभी सरकारी प्रयोजन में लाभ लेने की सूरत में

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

सभी सह खातेदारो की सहमति लेनी होती हैं जो सभी खातेदार अलग अलग ग्राम मे निवास करने व धन्धे के सिलसिलें में बाहर रहने से सहमति लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर हो रखे बंटवार अनुसार वादी का हिस्सा उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पूर्वी की तरफ कुल 0.2024 हैक्टयर भूमि हैं शेष दक्षिणी पश्चिमी एवं उत्तरी पूर्वी तरफ की भूमि हिस्सा प्रतिवादी 1 से 4 के बंट व हक हिस्से में आया हुआ है। इसी प्रकार मौके पर बंटवारा अनुसार वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा कराने की प्रार्थना करते है। वादीगण ने ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 1986 रकबा 0.3881 हैक्टयर भूमि का वाद पत्र के पैरा संख्या 2 व 3 में वर्णितानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा घोषित कर अलग खातेदारी घोषित करने की इस्तदनुआ की है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.03.2019 को वादीगण जरिये अभिभाषक श्री मूलचन्द सौंलकी व प्रतिवादी 1 से 3 अभिभाषक श्री गजराज चौहान न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी 5 का सम्मन विधिवत रूप से तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 06.08. 2019 को प्रतिवादी 4 का सम्मन रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवाये जाने बावजूद एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 20.11.2019 को वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर माफिक राजीनामा वाद का निर्णय किया जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उभय पक्षकारो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर वादी का वाद दिनांक 27. 11.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर से बंटवारा प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभय पक्षकारो के अधिवक्ताओं ने पढ़ समझ कर सही होना स्वीकार किया है। तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की अलग – अलग होल्डिंग कायम करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

उपरोक्त विवेचन के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि का कुल रकबा 0.3881 हैक्टयर है। जिसमें कुल 6 खातेदार है बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि को पांच अलग अलग भागो में प्रस्तावित किया गया है जिसमें खातेदार रामनिवास 0.08 हैक्टयर, बालाबक्ष पुत्र रामेश्वरलाल के 0.10 हैक्टयर, तथा बंशीलाल पुत्र रामेश्वरलाल के 0.10 हैक्टरूर तथा 0.08 हैक्टयर भूमि सरजूदेवी का 1/3 हिस्सा , प्रेमलता का 1/3 हिस्सा तथा भंवरलाल पुत्र श्रवणलाल के 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1986 में 0.02 हैक्टयर संयुक्त रास्ता रखा गया है। किसी के हिस्से में एक बीघा भूमि से अधिक नहीं है जिसका राजस्व रिकार्ड में विधित होल्डिंग कायम तरमीम किया जाना संभव नहीं है, ना ही इतने छोटे छोटे टुकड़ों कृषि कार्य किया जाना संभव है इस न्यायालय द्वारा केवल कृषि योग्य भूमि की ही घोषणा व बंटवारा किया जा सकता है। बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित हक हिस्से एवं रकबे से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि का मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो रहा है। जिससे वादी यह वाद साबित नहीं होता है। जिससे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः वादीगण का वाद खातेदारी घोषणा व बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/3/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)